भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश

पुलिस अधीक्षक, नूहं ने अवगत कराया है कि दिनांक 08.12.2020 को विभिन्न किसान संगठनों/खाप पंचायतों/कर्मचारी संगठनों द्वारा तीन कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जिला नूहं में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया है ताकि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके।

अतः जनमानस के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनहित में, मैं, धीरेन्द्र खड़गटा, भा०प्र०से०, जिलाधीश, नूंह तुरन्त प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत जिला नूंह में सार्वजनिक स्थलों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर दिनांक 08.12.2020 के लिए प्रतिबन्ध लगाता हूं।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी व परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूँ तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित है।

यह आदेश डयूटी पर उपस्थित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।

इस आदेश का जिला नूहं में जिला लोक सम्पर्क विभाग की वेन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचहेरी, उप मण्डल कचहेरी, तहसील कचेहरी तथा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस स्टेशनों, बस स्टेण्डों पर नाटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सपंठित आपदा प्रबन्धन अधीनियम, 2005 के तहत दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किये गयें।

Seal of the Court District Magistrate Nuh
सत्यमेव जयते

जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।

पृ0 क्रमांक 877 /एम0बी0 दिनांक 07.12..2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव,राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा चण्डीगढ।
4. आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी रेंज, रेवाडी।
6. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, नूहें।
7. हरियाणा से सभी जिला मजिस्ट्रेट।
8. पुलिस अधीक्षक, नूहें को उनके कार्यालय पत्र क्रमांक 9649/सुरक्षा दिनांक 07.12.2020 के सन्दर्भ में।
9. अतिरिक्त जिलाधीश, नूहें।
10. उपमण्डल मजिस्ट्रेट, नूहें/तावडू/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना।
11. जिला राजस्व अधिकारी, नूहें।
12. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहॅं।
13. महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, नूंह।
14. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, नूहें।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, नूंह।
16. जिला सूचना अधिकारी, (एन0आई0सी0) नूहं।
17. जिला के सभी तहसीलदार/उप तहसीलदार/समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
18. जिला के समस्त सचिव, नगरपालिका।
19. निजि सहायक, उपायुक्त, स्टेनो नगराधीश।

जिला मैजिस्ट्रेट, नूहं।

Scanned with CamScanner